



## असम NRC पर CAG की ऑडिट रिपोर्ट

### प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, CAG

### मेन्स के लिये:

NRC का महत्त्व और चुनौतियाँ, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में NRC की स्थिति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [नयित्क और महालेखा परीक्षक \(CAG\)](#) ने असम में [राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर \(NRC\)](#) में बड़े पैमाने पर वसिंगतियों का पता लगाया है।

## CAG की चिताएँ:

- नधियों के उपयोग में अनयिमतिताएँ:
  - फरवरी 2015 तक पूरा करने की समयसीमा के साथ NRC को अद्यतन करने की प्रक्रिया दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी और परयोजना लागत 288.18 करोड़ रुपए आँकी गई थी।
  - हालाँकि इसे पूरा करने के लिये अतरिकित समय और नवीन सॉफ्टवेयर में परिवर्तन के कारण मार्च 2022 तक लागत में पाँच गुना वृद्धि हुई थी।
  - जहाँ तक अनयिमतिताओं की बात है, CAG ने पाया कि आउटसोर्स करमचारियों को दिया जाने वाला वेतन समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत वेतन से 45.59%-64.27% तक कम था।
- सुरक्षति और वशिवसनीय सॉफ्टवेयर का अभाव:
  - NRC अद्यतन प्रक्रिया में अत्यधिक सुरक्षति और वशिवसनीय सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी, हालाँकि इस संबंध में उचित योजना की कमी देखी गई, जिसमें 215 सॉफ्टवेयर को बेतरतीब ढंग से कोर सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था।

## CAG की सफारशि:

- देश के शीर्ष ऑडिटर ने न्यूनतम मज़दूरी अधनियम, 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और डेटा ऑपरेटों को न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान करने के लिये वपिरो लमिटिड के खिलाफ दंडात्मक उपायों की मांग की।
- रिपोर्ट में 'अधिकि, अनयिमति और अस्वीकार्य भुगतान' के लिये राष्ट्रीय पंजीकरण के राज्य समन्वयक (State Coordinator of National Registration- SCNR) के खिलाफ कार्रवाई की सफारशि की गई है।
- CAG ने 'न्यूनतम मज़दूरी अधनियम के अनुपालन को सुनिश्चिति नहीं करने' के लिये प्रमुख नयिकता के रूप में SCNR की जवाबदेही तय करने की भी सफारशि की।

## राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC):

- NRC पहली बार वर्ष 1951 में असम में भारत में जन्मे लोगों और तत्कालीन पूर्वी पाकसितान, अब बांग्लादेश के प्रवासियों की पहचान हेतु बनाया गया था।
- वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 के रजिस्टर को अपडेट करने के लिये असम में इसे शुरू करने हेतु केंद्र और राज्य को नरिदेश जारी किये।
- यह आदेश असम पब्लिक वर्क्स नाम के एक NGO द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।
- पहला ड्राफ्ट वर्ष 2018 में जारी किया गया था।
- वर्ष 2019 में प्रकाशति अंतमि सूची में वे लोग शामिल थे जो 25 मार्च, 1971 (अगस्त 1985 के [असम समझौते](#) के अनुसार वदेशियों के नरिवासन

- की कट-ऑफ तारीख) से पहले असम के नवासी या उनके वंशज अपनी **भारतीय नागरिकता स्थापति कर सकते थे**।
- 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबति करने के लिये पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के कारण बाहर रखा गया था। कई दलों ने अंतिम सूची को 'तुरुटपूरण' कहकर खारज़ि कर दिया।
  - तीन साल से प्रकरिया रुकी हुई है क्योंकि **भारत के महारजिस्ट्रार (Registrar General of India- RGI)** ने अभी तक अंतिम सूची को अधिसूचि नहीं किये है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. लोक नधि के फलोत्पादक और आशयति प्रयोग को सुरक्षति करने के साथ-साथ भारत में नयित्त्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है? (2012)

1. CAG संसद की ओर से राजकोष पर नयित्त्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रीय आपात/वतितीय आपात घोषति किये जाता है।
2. CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वति परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किये गए प्रतविदनों पर लेखा समति विचार-वमिर्श करती है।
3. CAG के प्रतविदनों से मलिी जानकारियों के आधार पर जाँचकर्त्ता एजेंसियाँ उन लोगों के वरिद्ध आरोप दाखलि कर सकती हैं जिन्होंने लोक नधि प्रबंधन में कानून का उल्लघन किये हो।
4. CAG को ऐसी मशिरति न्यायकि शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँचते समय वह कानून का उल्लघन करने वालों पर अभियोग लगा सके।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. संघ और राज्यों की लेखाओं के संबध में नयित्त्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संवधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिये कि क्या सरकार की नीतिकाार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नयित्त्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारति का अतिक्रमण करना होगा अथवा नहीं। (2016)

**स्रोत: द हट्टि**